प्रेस नोट 26.08.2020

02 हिस्ट्रीशीटर अपराधी सहित 13 शतिर गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज 13 अदद तमंचा मय जिंदा कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानो द्वारा दिनांक 25/26.08.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान 02 हिस्ट्रीशीटर अपराधी सहित कुल 13 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से नाजायज 13 तमंचा मय जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस क्रम में–

थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा हाफिजपुर के पास से हिस्ट्रीशीटर (72ए) अपराधी गुलाम रसूद पुत्र अनीश निवासी युसुफाबाद थाना चिरैयाकोट मऊ के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

थाना मधुबन पुलिस द्वारा कबिराजपुर के पास से हिस्ट्रीशीटर (20ए) अभियुक्त तसलीम पुत्र नसीरूद्दीन निवासी फतेहपुर मण्डाव थाना मधुबन के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा माहपुर के पास विपुल पुत्र दयानन्द निवासी सियरही थाना दोहरीघाट के कब्जे से एक अदद तमंचा व एक जिदा कारतूस 12 बोर तथा भावनपुर के पास से धीरू राजभर पुत्र जहिन्दर निवासी भावनपुर थाना घोसी के कब्जे से एक तमंचा मय एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

थाना रानीपुर पुलिस द्वारा दशवारी के पास से गणेश पुत्र बनवारी निवासी घूटमा थाना रानीपुर मऊ के कब्जे से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा पहसा तिराहा के पास से गोलू यादव पुत्र अमरनाथ यादव निवासी छतरपुर थाना हलधरपुर मऊ के कब्जे से एक तमंचा मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा चोरी की एक मोबाईल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा भीखमा तिराहे के पास से राजनाथ पुत्र रामपति निवासी सरवा थाना कोपागंज के कब्जे से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा चण्डीसागर मार्ग प्यारेपुरा के पास से जुम्मन पुत्र मो0 इलियास निवासी मलिक टोला थाना कोतवाली के कब्जे से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर तथा मतलूपुर मोड़ से इरसाद अहमद पुत्र फैयाज अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ के कब्जे से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सलाहाबाद रेलवे क्रासिंग नवापुरा के पास से मो0 इरफान पुत्र जियाउद्दीन निवासी डोमनपुरा थाना कोतवाली के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

थाना घोसी पुलिस द्वारा थानीदास रेलेवे क्रासिंग के पास से अशोक पुत्र रामबली निवासी पिउसुई अहिलासपुर थाना घोसी के कब्जे से एक तमंचा मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा रैकवारेडीह के पास से योगेन्द्र राम पुत्र नरायण राम निवासी रैकवरेडीह थाना सरायलखंसी के कब्जे से एक तमंचा मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा अतरारी चुंगी पुलिया के पास से शालू पुत्र मुन्ना कुरैसी निवासी सैदपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से एक तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध सम्बन्धित थानों पर आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

156 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद, 17 व्यक्ति गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री मनोज कुमार सोनकर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा बेलौली के पास से देवनरायण साहनी पुत्र जगरनाथ साहनी निवासी बेलौली थाना दोहरीघाट के कब्जे से 10 लीटर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा कटधरा शंकर के पास से ममता देवी पत्नी मल्क राजभर निवासी कटधर शंकर थाना मधुबन के कब्जे से 15 लीटर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा निजामुद्दीनपुर के पास से नेसार साह पुत्र निजामुद्दीन शाह निवासी नयी बस्ती पारा थाना कोपागंज के कब्जे से 20 लीटर, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा कमरवा के पास से पैगाम पुत्र हदीश निवासी छपरा के कब्जे से 10 लीटर, सुल्तानीपुर के पास से नौसाद पुत्र गफ्फार निवासी जमीन बुढ़ान थाना चिरैयाकोट के कब्जे से 10 लीटर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा ढेकुलिया घाट के पास से रमेश साहनी पुत्र स्व0 छेकौड़ी निवासी मलिक ताहिरपुर के कब्जे से 10 लीटर, रेलवे डाक मंदिर के पास से तन्नू डोम पुत्र स्व0 बाबुलाल डोम निवासी हिन्दी भवन थाना कोतवाली के कब्जे से 10 लीटर, थाना घोसी पुलिस द्वारा भैरापुर के पास से नेहरूलाल राजभर पुत्र जगमोहन निवासी विसूनपुर थाना घोसी के कब्जे से 10 लीटर, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा पिपरीडीह के पास से नन्हक पुत्र स्व0 नारायण निवासी बबुआपुर थाना सरायलखंसी के कब्जे से 20 लीटर, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा रामघाट मंदिर के पास से विन्धाचल पुत्र रामेश्वर सोनकर निवासी बरईपार के कब्जे से 10 लीटर, ढाढाचवर के पास से जगधारी राजभर पुत्र स्व0 बालचन्द्र राजभर, राजसिंहासन पुत्र स्व0 भुटली निवासीगण ढाढाचवर दोनों के कब्जे से 3–3 लीटर, भरपुरा के पास से रामविलास पुत्र स्व0 जमुना, भोला यादव पुत्र स्व0 बुद्धा यादव निवासीगण डगौली दोनों के कब्जे से 05–05 लीटर, कटकटी मोड के पास से चन्द्रीका यादव पुत्र दीपचन्द्र यादव, प्रकाश, जितेन्द्र पुत्रगण भगेलू निवासीगण सूरहुरपुर सभी के कब्जे से 5–5–5 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबाकरी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

850 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

दिनांक 25.08.20 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मझवारा मोड़ के पास से योगेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 भोला पाण्डेय निवासी कल्याणपुर थाना दुर्गावती जनपद कैमुर बिहार के कब्जे से 850 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 689/20 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 26.08.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 452/20 धारा 354क,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त रामजन्म पुत्र रामब्रज निवासी झझवा थाना कोपागंज, थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 176/20 धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पोक्सों में वांछित अभियुक्त विजय बासफोर पुत्र केशव निवासी करमी थाना चिरैयाकोट मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 26.08.20 को अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी श्री बृज भूषण महोदय द्वारा जनपद मऊ का भ्रमण किया गया। इस क्रम में महोदय द्वारा आपराध/अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के क्रम में पुलिस लाइन सभागार में समीक्षा गोष्ठी की गयी। इस दौरान महोदय द्वारा निम्नलिखित आदेश/निर्देश निर्गत किये गये–

1. गैंगेस्टर में वांछित अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी करे तथा उनके द्वारा अपराध/अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की जब्तीकरण करे।

2. अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध अभियान चला कर प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा रिपीटेड अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा, गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करें।

3. पोक्सों एक्ट से सम्बन्धित विवेचनाओं को समय से निस्तारण तथा अभियुक्तो की गिरफ्तारी करे।

4. अवैध शस्त्रों के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा रिपिटेड अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा, गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करे तथा हिस्ट्रीशीट खोली जाये।

5. गोवध/गोकसी के विरूद्ध प्रभावी अभियान चलाये तथा रिपिटेड अपराधियों के विरूद्ध गुण्डा, गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही करे तथा हिस्ट्रीशीट खोली जाये।

6. महिलाओं/बालिकाओं से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोगों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी करे तथा विवेचना समय पर निस्तारित करे।

7. एसटी/एसटी अधिनियम के अभियोगों के अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करे तथा विवेचना समय पर निस्तारित करे।

8. टाप–10 अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करे।

इस दौरान पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ परिक्षेत्र, आजमगढ़ श्री सुभाष चन्द्र दुबे, जिलाधिकारी मऊ श्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सोनकर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष उपस्थित रहे।

कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद मऊ पुलिस की कार्यवाही–

कारोना महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान दिनांक 25.08.20 को सुबह 8 बजे से दिनांक 26.08.20 को सुबह 8 बजे तक जनपद के समस्त 357 बैरियर प्वाइंट (302 हाटस्पाट एरिया) पर चेकिंग के दौरान 27 व्यक्तियों के विरूद्ध 07 अभियोग पंजीकृत कर 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 1575 वाहनों को चेक किया गया जिसमें 88 वाहनों का चालान तथा 21 हजार 600 रुपये शमन शुल्क वसूले गये।

साथ ही साथ मास्क न लगाने पर किये गये 152 चालान व वसूले गये 10 हजार 600 रुपये जुर्माना तथा लाकडाउन का उलंघन करने पर 65 चालान व वसूले गये 12 हजार 200 जुर्माना सहित कुल 44 हजार 400 रुपये जुर्माना वसूला गया। जनपद में भीड़–भाड़ वाले जगहों, बैंको, बाजारों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस–पास सोशल डिस्टेंशिंग का अनुपालन कराया जा रहा है।